



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-3, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के विधेयक)

लखनऊ, बुधवार, 21 अगस्त, 2024

श्रावण 30, 1946 शक सम्वत्

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

संख्या 1658/वि०स०/संसदीय/52(सं)-2024

लखनऊ, 29 जुलाई, 2024

अधिसूचना

प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2024 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 29 जुलाई, 2024 के उपवेशन में पुरःस्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 2023 के नियम 126 के अन्तर्गत एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2024

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 का अग्रतर संशोधन करने के लिये
विधेयक

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में एतद्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1- (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2024 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह दिनांक 6 मार्च, 2024 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश
अधिनियम संख्या 12
सन् 2019 की
अनुसूची 2 का
संशोधन

2-उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 (जिसे आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है) की अनुसूची 2 में, क्रम संख्या 38 के पश्चात् उक्त अनुसूची के स्तम्भ निम्नानुसार संशोधित किये जायेंगे और नव स्थापित विश्वविद्यालयों के लिये क्रम संख्या 38 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :-

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	प्रायोजक संस्था का नाम
39	"शारदा विश्वविद्यालय आगरा" आगरा, उत्तर प्रदेश	श्री आनन्द स्वरूप एजुकेशनल ट्रस्ट, आगरा, उत्तर प्रदेश
40	सरोज इंटरनेशनल विश्वविद्यालय लखनऊ, उत्तर प्रदेश	श्रीमती सरोज सिंह, शिक्षण संस्थान, 8 माल एवेन्यू लखनऊ, उत्तर प्रदेश
41	जे0एस0एस0 विश्वविद्यालय नोएडा, उत्तर प्रदेश	जे0एस0एस0 महाविद्यापीठ गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश

कठिनाइयां
दूर करने
की शक्ति

3-(1) राज्य सरकार, "शारदा विश्वविद्यालय आगरा", आगरा, उत्तर प्रदेश अथवा सरोज इंटरनेशनल विश्वविद्यालय लखनऊ, उत्तर प्रदेश अथवा जे0एस0एस0 विश्वविद्यालय नोएडा, उत्तर प्रदेश की स्थापना के सम्बन्ध में किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ, गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निदेश प्रदान कर सकती है कि मूल अधिनियम के उपबन्ध, ऐसी अवधि, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, के दौरान ऐसे अनुकूलनों के अध्यक्षीन उपान्तरण, परिवर्द्धन या लोप, जैसा कि वह आवश्यक या समीचीन समझे, के माध्यम से प्रभावी होंगे :

परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रारंभ होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा ;

(2) उप धारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसे किये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा ।

निरसन और
व्यावृत्ति

4-(1) उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2024, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2024 तथा उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 2024 एतद्वारा निरसित किये जाते हैं ।

उत्तर प्रदेश
अध्यादेश संख्या 1
सन् 2024, 2 सन्
2024, 3 सन्, 2024

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबन्धों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे ।

उद्देश्य और कारण

उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य में नये निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना करने और विद्यमान निजी विश्वविद्यालयों को निगमित करने एवं उनके कृत्यों को विनियमित करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक मामलों का उपबन्ध करने हेतु उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2019) अधिनियमित किया गया है ।

तीन नये निजी विश्वविद्यालय अर्थात् :- (एक) "शारदा विश्वविद्यालय आगरा", आगरा, उत्तर प्रदेश; (दो) सरोज इंटरनेशनल विश्वविद्यालय लखनऊ, उत्तर प्रदेश ; तथा (तीन) जे0एस0एस0 विश्वविद्यालय, नोएडा, उत्तर प्रदेश की स्थापना हेतु उपबन्ध करने के उद्देश्य से पूर्वोक्त अधिनियम की अनुसूची 2 में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया ।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 6 मार्च, 2024 को उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2024 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1 सन् 2024), उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2024 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन् 2024) तथा उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 2024 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3 सन् 2024) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

योगेन्द्र उपाध्याय
मंत्री,
उच्च शिक्षा।

आज्ञा से,
प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

UTTAR PRADESH SARKAR
SANSADIYA KARYA ANUBHAG-1

No. 373/XC-S-1-24-23 S-2024
Dated Lucknow, August 21, 2024

NOTIFICATION
MISCELLANEOUS

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the "Uttar Pradesh Niji Vishvavidyalaya (Dviteeya Sanshodhan) Vidheyak, 2024" introduced in the Uttar Pradesh Legislative Assembly on July 29, 2024.

THE UTTAR PRADESH PRIVATE UNIVERSITIES (SECOND AMENDMENT)
BILL, 2024

A
BILL

further to amend the Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-fifth Year of the Republic of India as follows :-

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Private Universities (Second Amendment) Act, 2024. Short title and Commencement
- (2) It shall be deemed to have come into force with effect from the 6th day of March, 2024.

Amendment of
Schedule 2 of
U.P. Act no.
12 of 2019

2. In Schedule 2 of the Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019 (hereinafter referred to as the "principal Act") *after* serial no. 38, the Columns of the said Schedule shall be amended as below and *after* serial no. 38 for the newly established Universities the following serial numbers shall be *inserted*, namely :-

Sl. no.	Name of the University	Name of the Sponsoring Body
39	"Sharda University Agra" Agra, Uttar Pradesh	Sri Anand Swroop Educational Trust, Agra, Uttar Pradesh
40	Saroj International University, Lucknow, Uttar Pradesh	Smt. Saroj Singh Shikshan Sansthan, 8 Mall Avenue, Lucknow, Uttar Pradesh
41	JSS University, Noida, Uttar Pradesh	JSS Mahavidyapeetha, Ghaziabad, Uttar Pradesh

Power to
remove
difficulties

3. (1) The State Government may, for the purposes of removing any difficulty in relation to the establishment of "Sharda University Agra" Agra, Uttar Pradesh, or Saroj International University, Lucknow, Uttar Pradesh or JSS University, Noida, Uttar Pradesh by order published in the *Gazette*, direct that the provisions of the principal Act shall during such period, as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations, whether by way of modification, addition or omission, as it may deem necessary or expedient:

Provided that no such order shall be made after two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid before both Houses of the State Legislature, as soon as may be, after it is made.

Repeal and
saving

4. (1) The Uttar Pradesh Private Universities (Amendment) Ordinance, 2024, the Uttar Pradesh Private Universities (Second Amendment) Ordinance, 2024 and the Uttar Pradesh Private Universities (Third Amendment) Ordinance, 2024 are hereby repealed.

U.P. Ordinance
no. 1 of 2024,
2 of 2024, 3 of
2024

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019 (U.P. Act no. 12 of 2019) has been enacted to provide for the establishment of new Private Universities and incorporation of existing Private Universities in the State of Uttar Pradesh for imparting higher education and to regulate their functions and for matters connected therewith or incidental thereto.

In order to provide for the establishment of three new Private Universities, namely :- (i) "Sharda University Agra", Agra, Uttar Pradesh; (ii) Saroj International University, Lucknow, Uttar Pradesh; and (iii) JSS University, Noida, Uttar Pradesh, it was decided to amend Schedule 2 of the aforesaid Act.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Private Universities (Amendment) Ordinance, 2024 (U.P. Ordinance no. 1 of 2024), the Uttar Pradesh Private Universities (Second Amendment) Ordinance, 2024 (U.P. Ordinance no. 2 of 2024) and the Uttar Pradesh Private Universities (Third Amendment) Ordinance, 2024 (U.P. Ordinance no. 3 of 2024) were promulgated by the Governor on March 6, 2024.

This Bill is introduced to replaced the aforesaid Ordinance.

YOGENDRA UPADHYAY
Mantri,
Uchha Shiksha.

By order,

J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.